(04)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 41 / 2016

अक्षय चन्द्र डे, परियोजना पदाधिकारी,
परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना, हजारीबाग क्षेत्र, सी0सी0एल0

बनाम्

डी0एफ0ओ0, रामगढ़ एवं झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

31-01-2020

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी अक्षय चन्द्र डे, पिता शंकर प्रसाद डे, परियोजना पदाधिकारी, परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना, हजारीबाग क्षेत्र, सी0सी0एल0 के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–101 / 2018 में दिनांक– 30.03.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52(A) के तहत् अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि डम्फर सं0– JH-02Q-2673 एवं उस पर लदा कोयला, जो परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना, हजारीबाग क्षेत्र, सी0सी0एल0 से संबंधित है, जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52(III) के तहत् प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात किया गया है, जो विधि–संगत् नहीं हैं। अपने दावे के समर्थन में अपीलार्थी का कहना है कि –

(1)– The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act-1957 के तहत् उक्त वन क्षेत्र भूमि अर्थात् उत्खनन क्षेत्र से सम्बन्धित भूमि उर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–3687, दिनांक 13.09.1983 से सी०सी०एल० को विषयांकित वाद में उल्लेखित वन भूमि क्षेत्र अधिसूचित है, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–8–209 / 91–FC दिनांक 28.04.193 द्वारा F.C. Act-1980 की धारा–02 के तहत् 10 वर्षों के लिए दिनांक 28.04.2003 तक उत्खनन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2)– परियोजना पदाधिकारी, परजे पूर्वी उत्खनन परियोजना, हजारीबाग क्षेत्र सी०सी०एल० द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–5111–12, दिनांक– 08.12.2004 से CBA (A & D) Act-1957 के तहत् प्राप्त उक्त अधिसूचित उत्खनन कार्य हेतु वन भूमि क्षेत्र का F.C. Act-1980 के तहत् अवधि विस्तार की अनुमति के परिप्रेक्ष्य में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ एवं सी०सी०एल० प्रबंधन द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–1027, दिनांक– 06.07.2005 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से लीज अवधि विस्तार हेतु पत्राचार की गई है, जिसपर विभाग स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

(05)

(3)– पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत पत्र– F. No.- 11-51/2015-FC, Dated-01-04-2015 & Dated-01.05.2015 द्वारा सभी राज्यों को पत्राचार किया गया है कि – "Diversion of forest land for non-forest purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980-Guidelines regarding extension of period of validity of approvals accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for mining projects."

(4)– सी०सी०एल० द्वारा अधिग्रहित/अधिसूचित भूमि के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर– I.A. No.-1441 में आदेश पारित किया गया है कि – " As regards the under-ground mining the applicants shall pay 50% of the NPV amount with ah undertaking to pay the balance amount later. As regards over ground mining, 100% amount of the NPV shall be paid by the applicants. Subject to that the I.A.s are allowed."

(5)– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा सी०सी०एल० की विभिन्न परियोजनाओं पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त खनन कार्य करने के सम्बन्ध में दिनांक 28.04.2007 को निर्गत पत्र के आलोक में सी०सी०एल० प्रबंधन द्वारा मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर I.A.No-1785-86/2007 In Writ Petition (C) No.-202/95 किया गया, जिसमें Central Empowered Committee द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "These IAs have been filed by the Central Coal Fields Limited seeking direction for setting aside the order dated 28.02.2007 passed by the Divisional Forest Officer, Ramgarh Forest Division (refer Annexure A-2 of the IA) asking the applicant company to close 17 of its coal mines. The main ground for seeking the above direction is that this Hon'ble Court by order dated-23.02.2007 has permitted the coal companies to continue operation on payment of the 100% of the NPV for the over ground mines and 50% of the NPV for the underground mines. In compliance of the above order of the Hon'ble Court, for all these 17 mines, the NPV at the applicable rate has already been deposited by the applicant company."

"During the hearing held before the CEC on 10.07.2007, it was informed by Mr. Satish Chandra, D.F.O, Ramgarh Forest Divisional this order dated 28.02.2007 was issued before the receipt of this Hon'ble Court's order dated 23.02.2007. Presently, no action for closure of any of the applicant company's mines is being taken by him in defiance of the Hon'ble Supreme Court's order."

(6)– सी0सी0एल0 प्रबंधक द्वारा पत्र संख्या–2961–63, दिनांक–03.12.1993 द्वारा चेक के माध्यम से अधियाचित Net Present Value (NPA) की राशि वन विभाग को जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि दिनांक–27.07.1993 को Chief Conservator Of Forests, Development, Bihar, Ranchi द्वारा निर्गत पत्र से की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा सी0सी0एल0 प्रबंधन द्वारा कोयला उत्खनन कार्य को रोकते हुए, राज्यसात की कार्रवाई किया जाना न्याय–संगत नहीं है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ का पक्ष :–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ की ओर से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अधिसूचित वन क्षेत्र अर्न्तगत जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला को वनरक्षी एवं उच्च पदाधिकारी के साथ सामूहिक गश्ती दल द्वारा जप्त किया गया है तथा वन पदाधिकारी, माण्डू से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विविधत् सुनवाई करते हुए, राज्यसात की कार्रवाई की गई है। इन्होंने अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी की ओर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख, बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, जिसमें निम्न तथ्य स्पष्ट है :–

(1)– विषगत् वाद में डम्फर सं0– JH-02Q-2673 एवं उस पर लदा कोयला वन सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत जप्त किया गया है।

(2)– वन पदाधिकारी, माण्डू द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52(III) के तहत् निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात की कार्रवाई की गई है।

(2)– अभियोजन प्रतिवेदन के अवलोकन एवं परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि परेज सुरक्षित वन क्षेत्र अर्न्तगत सी0सी0एल0 प्रबंधन द्वारा कोयला उत्खनन एवं संग्रहण कार्य किया गया है।

(3)– अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विषगत वाद में उल्लेखित कोयला उत्खनन एवं संग्रहण कार्य क्षेत्र वन भूमि सीमा अर्न्तगत है, परन्तु उक्त भूमि सी०सी०एल० द्वारा The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act-1957 के तहत् अधिग्रहित की गई है।

07

(4)– सी०सी०एल०प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित/अधिसूचित भूमि के परिप्रेक्ष्य में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर–W.P.(c)N.-202/1995 T.N. Godavarman Versus Union of India & Ors में I.A. No.- 1441 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि – " As regards the under-ground mining the applicants shall pay 50% of the NPV amount with ah undertaking to pay the balance amount later. As regards over ground mining, 100% amount of the NPV shall be paid by the applicants. Subject to that the I.A.s are allowed."

(5)– परियोजना पदाधिकारी, परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना, हजारीबाग क्षेत्र, सी0सी0एल0 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सी0सी0एल0 अधिसूचित वन भूमि उत्खनन क्षेत्र में अवधि विस्तार हेतु अनुरोध पत्र–वर्ष 2004 में दिया गया है। सी0सी0एल0 प्रबंधन द्वारा मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार CBA (A & D) Act-1957 के तहत् सी0सी0एल0 प्रबंधन को अधिसूचित उत्खनन कार्य हेतु वन भूमि क्षेत्र का F.C. Act-1980 मे निहित प्रावधान के तहत् वन भूमि क्षेत्र से संबंधित भूमि का Net Present Value (NPA) की राशि सी0सी0एल0 प्रबंधन के द्वारा वन विभाग को जमा किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि विषयगत वन भूमि क्षेत्र अन्तर्गत उत्खनन कार्य हेतु अधिसूचित भूमि के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देश/आदेश के आलोक में वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन के दावे के आधार पर सी0सी0एल0 के लीज (Lease) क्षेत्र में खनन एवं संग्रहण कार्य को बन्द करते हुए राज्यसात की कार्रवाई न्याय–संगत नहीं है। अतः प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर **राज्यसात वाद संख्या–101/2018 में दिनांक 30/03/2019 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।** आदेश की प्रति नियमानुसार अग्रेतर–आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्न न्यायालय को भेजें। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

245/18
12/03/2

लेखापिता एवं संशोधित

31/01/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

31/01/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।